न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्याः— 07 / 16 दिनांकः—02.08.2019

1. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. शाकीर पुत्र दाऊद अली जाति भाटी मुस्लिम निवासी वार्ड नम्बर 18 रामगढ़ शेखावाटी।
2. मोहम्मद अकबर पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 23 रामगढ़ शेखावाटी।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णयः—

तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दिनांक 18.02.2016 को कस्बा रामगढ़ शेखावाटी तहसील रामगढ़ में कृषि भूमि खसरा नम्बर 804 रकबा 2.00 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण शाकीर पुत्र दाऊद तथा मोहम्मद अकबर पुत्र मोहम्मद हनीफ खातेदार कृषक है। अप्रार्थीगण समस्त कृषि भूमि पर प्लाटिंग कर रहें है। बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है कि वह कृषि भूमि की किस्म बदले व भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक का अधिकार नही होते हुए भी अकृषि भूमि में तब्दील करें।

अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का अकृषि से आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग/उपभोग अनाधिकृत रूप से खिलाफ कानून कर लिया है।

तहसीलदार द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त फरमाई जाकर, अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे व भूमि सिवायचक घोषित की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने स्वयं उपस्थित अदालत होकर जबाब पेश किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की अनाधिकृत प्लॉटिंग नही की जा रही है। उन्होने किसी प्रकार का आवासीय निर्माण कार्य नही किया है तथा केवल कुआ—कोठा का निर्माण किया है जो कि केवल कृषि भूमि हेतु

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

उपयोग किया गया है। अतः अप्रार्थीगण ने प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया।

बहस तहसीलदार सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व जमाबंदी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.02.2016 से जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 804 रकबा 2.00 हैक्टेयर पर मौके पर पिल्लर गाढ़कर कर प्लाटिंग कर रखी है।

तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खातेदार द्वारा भूमि का अकृषि से आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग/उपभोग अनाधिकृत रूप से कानून के खिलाफ कर लिया है। तहसीलदार ने स्वयं उपस्थित अदालत होकर उक्त आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल व आराजी को सिवायचक दर्ज करने की अपील की। उक्त भूमि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध तरीके से अपनी खातेदारी आराजी कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15.02.2016 से होती है। अतः विवादित आराजी का कृषि के स्थान पर गैर कृषि उपयोग होना साबित है।

—:आदेश:—

अतः आदेश है कि प्रार्थी तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर कस्बा रामगढ़ शेखावाटी की विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 2.00 हैक्टेयर को सिवायचक दर्ज किया जाकर कब्जेराज लिया जावे एवं उक्त आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाये। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी,सीकर

Scanned by CamScanner